प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम आगरा।

पत्रांक– मु0चि0अ0 / 2021–22 / 1534 दिनांक– 18.02.2022

विषय– जनपद आगरा में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सेनेटरी इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक एवं सफाई नायकों को तम्बाकू वेंडर, लाईसेंसिग से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम कि तरफ से वेंडर लाईसेसिंग हेतु एक सकारात्मक पहल की गई है। जिस कम में तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाने, कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में जानकारी देने एवं वेंडर लाइसेसिंग हेतु तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सेनेटरी इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक एवं सफाई नायकों को एक प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला तम्बाकू नियत्रंण प्रकोष्ठ एवं क्षेत्रीय समन्वयक (यू0पी0वी0एच0ए0 लखनऊ) द्वारा संम्पादित किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण को सम्पादन कराये जाने हेतु दिनांक, समय व स्थान निर्धारित कराते हुए प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आगरा।

पत्रांक–मु0चि0अ0 / 2021–22 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0 लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
5. नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम आगरा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आगरा।